

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख वाद संख्या- ४८/२०२०-२) (७/११)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
०३/०९/२०२०	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच एंव कार्बवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-२०७४/रा०, दिनांक-१३.०५.२०१६ सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा०८०निति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एंव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- ५१, थाना नं०- २०१, खाता संख्या- २ लॉट      संख्या- ११६३, रकबा- १.००८० एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- १ के पृष्ठ संख्या- २२७ पर जमाबंदी रैयत न८८५१८०८८१ पिता भुजु हॉल८१ के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़करं बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जमाबंदी रैयत को जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>आमिलेख दिनांक- १९/०९/२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">०९/९/२०२०</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

१९.०७.२०८०

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशासा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

६७९/०२  
अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

## संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

- संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- सुरस्ताते डॉसदा फिला अकुण्डा

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>न्हरो</u>	<u>२०१</u>	<u>७</u>	<u>११६७</u>	<u>१.०० ए.</u>

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या ..... १ ..... पृष्ठ सं० ..... २२७ ..... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - —

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- डॉरआवाद महेन्द्र

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- इ०

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- डॉरआवाद

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - कंपोवस्त १५/८८-८९.

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जर्मींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भ-हस्तांतरण पंजी) सुन्पारित पंजी २.

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या                    लगान रसीद संख्या                    रसीद निर्गत तिथि                    वसूली वर्ष